

राजस्थान सरकार
कार्यालय महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एजी / संस्था / 2013 /

जयपुर, दिनांक:-

आदेश


विधि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 21-06-2005 में प्रकाशित हुआ, की धारा 5(1) एवं 10(1) के अनुसरण में महाधिवक्ता, राजस्थान, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर/नई दिल्ली को एक शासकीय ईकाई मानते हुये उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिये पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एजी/2010/जयपुर/356-60, दिनांक 14-09-2010 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नांकित अधिकारी को राज्य सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी तुरन्त प्रभाव से मनोनीत किया जाता है:-

क्र०सं०	ईकाई	राज्य जन सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
01	महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर	श्री अनुराग शर्मा, अति० महाधिवक्ता, जयपुर।	श्री नरपतमल लोढा, महाधिवक्ता, राज० जयपुर।

- 51 -
महाधिवक्ता,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2- प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3- मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 4- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
- 5- अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर।
- 5- श्री अनुराग शर्मा, अति० महाधिवक्ता, जयपुर।
- 6- श्री शिवनन्दन सिंह, प्रोग्रामर, कार्यालय महाधिवक्ता राज० जयपुर को बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


महाधिवक्ता,
राजस्थान, जयपुर।

460
4-2-14